

सी. नं. 839
श्री. नं. 13/08/19
वेपथर का मुखर



SXI = 500


24.6.2019

S. S. Datta
Stamp Vendor, Jaipur
L No. 12008

Pravin Kumar Singh



मीना सिंह
14/8/19



श्री. मीना सिंह
जिला मुख्यालय, जयपुर
दिनांक 13/08/19
उपस्थानक का हस्ताक्षर



विवरण पत्र का हस्ताक्षर

मौजा रिजिट
19.8.19

::2::

कीमत जायदाद - मो0 18,20,000/- (अठारह लाख बीस हजार) रुपये मात्र।
विवरण जायदाद - निम्न तफशील में दर्ज हैं।

विदित हो कि देवघर टाउन के अंतर्गत मौजा- झौसागढ़ी नावाकुरा नं0- 582 मुहल्ला करनीबाद के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन टाउन प्लान प्लॉट नं0- 687 रकबा 5 पाँच बीघा उस पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मकानादि अंदर जमाबंदी नं0-230 अंदर हल्का देवघर पुराना नगरपालिका वार्ड नं0-03, में वर्णित सम्पत्ति को दिनांक- 28.06.1929 ई0 को निबंधन कार्यालय, देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र संख्या-217 के द्वारा स्व0 चामु राय दिगर दो भाई चैथरु राय व नथु राय के साथ इजमाल परिवार में रहते हुए इजमाल परिवार के अंश मौजा नावाकुरा निवासी चुल्हाई राउत से खरीदकर दखल कब्जा लेकर गत तारीख 09.03. 1939 ई0 को चैथरु राय व चामु राय व नथु राय के पुत्रों के बीच इजमाल सम्पत्ति को आपुसी बंटवारा वजरिये पंचनामा होने पर उपरोक्त सम्पत्ति चैथरु राय के हिस्से में मिला। उक्त बंटवारा के बाद चैथरु राय तथा उनके दो पुत्र गोदो राय व सोखी राय उक्त जायदाद पर दखलकार रहे। गोन्दो राय तथा सोखी राय के मरने पर उनलोगों के वारिसान गोन्दों राय के पुत्रगण बेलभद्र राय वगैरह व सोखी राय के पुत्र ध्वाजाधारी राय व भागवत राय के बीच इजमाल सम्पत्ति के बंटवारा होने पर उक्त सम्पत्ति गोन्दो राय के वारिसान के हिस्से में मिला वो गत तारीख 19.04.1966 ई0 को रजिष्ट्री ऑफिस देवघर से एक कीता बंटवारानामा दलील संख्या-1519 के द्वारा गोन्दो राय के वारिसान इजमाल सम्पत्ति का आपस में बंटवारा करने पर उपरोक्त सम्पत्ति बेलभद्र राय, बंदी प्रसाद राय, भरत प्रसाद राय, जयन्ती राय, दामोदर प्रसाद राय साकिन-अमरपुर, थाना-जसीडीह, जिला-देवघर के हिस्से में मिला।

बेलभद्र राय वगैरह अपने हिस्से में प्राप्त सम्पत्ति पर दखलकार रहते हुए दिनांक- 30.04.1966ई0 को निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-3, पृष्ठ संख्या 398 से 402 तक में निबंधित जिसकी संख्या 1668

ATTESTED
19/8/20

मीना सिंह
19.8.19

::3::

वर्ष 1966 के द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति मौजा झौसागढ़ी नवाकुरा नं० 582 के अंदर जमाबंदी नं०-230 टाउन प्लॉन प्लॉट नं०-687 रकवा स्थानीय माप से 5 पाँच बीघा जमीन को बिक्री कर दिया। मुझ केवालादातृ की माता श्रीमती रत्नाकर देवी, पति महावीर सिंह, साकिन-करहनीबाद, देवघर के निवासी के पास बिक्री कर दिया। अनुलग्नक-1 (बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त दस्तावेज संख्या 1668 वर्ष 1966 के तफसील सम्पत्ति में टाउन प्लॉन प्लॉट नं०-686 भूल लिखा जाने के कारण दिनांक 25.03.2003 ई० को निबंधन कार्यालय, देवघर से निबंधित एक किता संशोधन पत्र पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-41 पृष्ठ संख्या 99 से 101 तक में निबंधित जिसकी संख्या 1031 वर्ष 2003 के द्वारा उपरोक्त दस्तावेज के तफसील सम्पत्ति में टाउन प्लॉन प्लॉट नं०-686 के स्थान पर टाउन प्लॉन प्लॉट नं०-687 को सशोधि त किया गया। अनुलग्नक-2 (शुद्धि पत्र की छाया प्रति संलग्न संलग्न)

उपरोक्त रत्नाकर देवी उक्त सम्पत्ति पर ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करती हुई अंचल कार्यालय, देवघर से अपने नाम से नामान्तरण करवाकर तथा सलाना खजाना अदाय करती हुई अपने पीछे एक मात्र पुत्र चन्द्रशेखर सिंह एवं एक पुत्री मुझ केवालादातृ मीना सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गई।

उपरोक्त श्रीमती रत्नाकर देवी के स्वर्गवास कर जाने के बाद उपरोक्त सम्पत्ति के बंटवारा के लिए सब जज -VII देवघर के अदालत में टाईटल पार्टीशन सुट नं०-80 वर्ष 2007 को मीना सिंह बनाम अनिता देव्या वगैरह के बीच मुकदमा दायर किया गया। उक्त मुकदमा के सुलहनामा के आधार पर उपरोक्त सम्पत्ति मौजा झौसागढ़ी नवाकुरा नं०-582 के अंदर टाउन प्लॉन प्लॉट नं० 687 रकवा 47685 वर्गफीट जमीन अंदर जमाबंदी नं० 230 मुझ केवालदातृ के हिस्से में मिला।

मैं केवालादातृ अपने हिस्से में प्राप्त सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय, देवघर से नामान्तरण वाद संख्या-949/आर027 वर्ष 2018-19 आदेश दिनांक-25.02.2019 के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण कराकर राजस्व पंजी-11 के भोल्युम नं०-96 पेज

ATTESTED

सीता सिंह
13.8.19

::4::

नं-46 में नाम दर्ज कराकर सलाना मालगुजारी अदाय करती हुई निर्विवाद रूप से भोग दखल कर रही हूँ। नामान्तरण की छाया प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-3)।

अभी मुझ केवालादातृ को वास्ते संसारिक खर्च के लिये रुपये की अतिआवश्यकता है। रुपये का बंदोवस्त अपने पास से वो अन्य उपाय से होते न देखकर निम्न तफशील में वर्णित जमीन जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिन्हित है, बिक्री करने का एलान किया। आप केवाला ग्रहिता उसे खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर जायदाद मजकूर का कीमत अभी के बाजार दर से उभय पक्षों की मंजूरी से मो० 18,20,000/- (अठारह लाख बीस हजार) रुपए मात्र कायम हुए।

अतएव आज तारीख में केवालादातृ ने आप केवाला ग्रहितृ से मो० 18,20,000/- (अठारह लाख बीस हजार) रुपये नीचे लिखे पावती रसीद मुताबिक भुगतान पाकर निम्न तफशील में वर्णित जमीन जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिन्हित है, आपके पास बिक्री कर दिया तथा उस पर दखल कब्जा दे दिया।

अब आप केवालाग्रहितृ मुझ केवालादातृ के सत्व वो दखल से सत्ववति वो दखलकारिणी होकर दान, बिक्री, मोरगेज वो नाना प्रकार के हस्तान्तरण आदि करने के पुर्ण अधिकारिणी होकर अपने पुत्र-पौत्रादि स्थलाभिषिक्तगण क्रम से सदा सर्वदा के लिये सुख पुर्वक भोग दखल करती रहे। इसमें मुझ केवालादातृ मय वारिशान को किसी तरह का उज्र आपत्ति नहीं होगा और न कोई भी कर सकेगा। यदि कोई करे या करावे तो वह सरे अदालत नजायज वो वातिल होगा।

बिक्रीत सम्पत्ति के मैं केवालादातृ ही एक मात्र मालकीन वो दखलकारिणी हूँ। इसमें दिगर अंशदार या हकदार नहीं है और न ही किसी तरह का दाय संयुक्त हस्तांतरण किया हूँ। यानी बिक्रीत सम्पत्ति हर तरह से वो हर तरफ से पाक वो साफ है।

TESTED
ARYREGD NO. 22504

मौजा-खिरे
13.8.19

उपरोक्त उक्तियों के खिलाफ अगर साबित हो या बिक्रीत सम्पत्ति के किसी भी अंश से बेदखल होने पर उस स्थिति में मैं केवालादातृ आप केवालाग्रहितृ के कीमत का कुल रूपये मय हर्जाना वो खर्चा का देनदार रहूँगी।

इस बिक्रय पत्र के एवज में भविष्य में मुझ केवालादातृ को कुछ लिखने या करने की जरूरत पड़ने पर उस स्थिति में आप केवालाग्रहितृ के अनुरोध वो खर्च से वैसा लिखने या करने के लिये तैयार रहूँगी।

एतदर्थ अपने मन वो शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे के अपने स्वेच्छा से यह कीमत का कुल रूपये नीचे लिखे पावती रसीद मुताबिक भुगतान पाकर यह बिक्रय खोश केवाला दलील लिख दिया, जो प्रमाण रहे। इति तारीख - 13.8.2019

तफशील सम्पत्ति

थाना नं० 582, जमाबंदी नं०- 230 सवडीविजन, सवरजिष्ट्री वो जिला - देवघर
थाना - देवघर सामील मौजा झौसागढ़ी मुहल्ला-करहनीबाद के अंदर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व
की हस्तांतरणीय परती जमीन टाउन प्लान प्लॉट नं०- 687 का अंश सव प्लॉट नं० 4 का अंश
व 5 रकवा 1996.4 वर्गफीट (एक हजार नौ सौ छियानबे दशमल चार वर्गफीट) यानि 4.58
डिसमिल परती जमीन जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिन्हित है, कुल हक-हकुक बिक्री
किया, अंदर हल्का देवघर नगर निगम वार्ड नं०-28, होल्डिंग नं०-0280001078000M0 जिसकी
चौहद्दी :-

उत्तर - टाउन प्लान प्लॉट नं०- 687 का अंश

इधर की माप - 40'-0" फीट

दक्षिण - 15'-0" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।

इधर की माप - 40'-0" फीट।

पुर्व - केवालादातृ की जमीन। सव प्लॉट नं०-6

इधर की माप-49'-11" फीट।

पश्चिम - केवालादातृ की जमीन। सव प्लॉट नं० 4 का अंश।

इधर की माप-49'-11" फीट।

मौजा-खिरे

TESTED
NOTARY REGD NO. 22504
GOVT. OF JHARKHAND
1007 DE BAHAR INDIA

मीना सिंह
13.8.19

:: 6 ::

घोषणा :- उक्त बिक्रीत सम्पति अन्य सड़क में है, जो आवासीय है। उक्त बिक्रीत सम्पति सरकारी भूमि (कैशारे हिन्द भूमि/गेर मजरुआ आम भूमि/गेर मजरुआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/ विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अंतर्गत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पति गोचर, भूहदबंदी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अंतर्गत भी नहीं है एवं भूमि सी0बी0आई0 जाँच के दायरे के अंदर नहीं है तथा न्यायालय द्वारा भी किसी प्रकार का रोक नहीं है।

उक्त भूमि अंचल कार्यालय देवघर के ज्ञापांक-484/रा0 दिनांक-27.02.2019 के द्वारा सत्यापित किया गया है।

प्रारूपकर्ता

दस्तावेज फरिकैन को
पढ़कर सुना वो समझा दिया,
प्रारूपकर्ता

रुचिका पंडित

डीड राईटर, देवघर

तारीख : 13.8.2019 7/41

शवाहन

Uma Shankar Singh.
Sh. Sri Barun Singh.
Dewan Baba Gali
Karnibag, Deoghar

9771819346.

13.08.2019.

② सनील कुमार सिंह

पिता = श्री वृष्णा प्रसाद सिंह

पता = क र्नीबाग देवघर

13/8/19

ATTESTED
NOTARY REGD NO. 2250K
GOVT. OF JHARKHAND
DATE DEOGHAR INDIA

मीना सिंह
13.8.19

:: 7 ::

पावती रसीद (MEMO OF CONSIDERATION)

मैं केवालादाता आप केवालाग्रहित से नीचे लिखे मुताबिक भुगतान पायी।

बैंक का नाम	चेक/ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	रकम
सिंडिकेट बैंक देवघर	644730	5.3.19	5,00,000 - W
सिंडिकेट बैंक देवघर	133104	24.6.19	5,00,000 - W
सिंडिकेट बैंक देवघर	133102	13.8.19	8,20,000 - W

कुल - 18,20,000 - W

कुल रकम अठारह लाख बीस हजार रुपये मात्र।

ATTESTED
12726
NOTARY REGD NO.-225/16
GOVT. OF JHARKHAND
KOTHI DE GHAT (INDIA)

मीना सिंह

मीना सिंह

:: 8 ::

SPECIMEN FORM FOR FIVE LEFT HAND FINGER PRINTS



LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB



मीना सिंह 7004109727

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

Kalpna Singh

13.8.19 7004697311



LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB


Uma Shankar Singh

Singh. Uma Shankar Singh.

PHOTO	LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

TESTED
17/8/20
NOTARY REGD NO.-22546
GOVT. OF JHARKHAND
INDIA

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में लगी छाया चित्र एवं उनके बायें हाथ के... 13.8.2019




Vol. No. IT Sl. No. 1386
Date 14/08/2019

शपथ-पत्र

मैं श्रीमती कल्पना सिंह, पिता गजाधर प्रसाद राय, पति मुकेश कुमार सिंह, साकिन+पोस्ट व थाना-चितरा सबडिविजन, सबरजिष्ट्री -मधुपुर, सदर रजिष्ट्री वो जिला- देवघर पूर्वक ब्यान करती हूँ कि :-


1. यह कि थाना नं0 582, जमाबंदी नं0- 230 सबडीविजन, सबरजिष्ट्री वो जिला - देवघर थाना - देवघर सामील मौजा झौसागढ़ी मुहल्ला-करहनीबाद के अंदर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तांतरणीय परती जमीन टाउन प्लान प्लॉट नं0- 687 का अंश सब प्लॉट नं0 4 का अंश व 5 रकवा 1996.4 वर्गफीट (एक हजार नौ सौ छियानबे दशमल चार वर्गफीट) यानि 4.58 डिसमिल परती जमीन को आप श्रीमती मीना सिंह, पिता श्री महावीर सिंह, दादा स्व0 जगत सिंह, व पति श्री कुमार धर्मेन्द्र नारायण सिंह, साकिन-करहनीबाग, थाना- कुण्डा, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री वो जिला- देवघर से खरीद कर रही हूँ।
 2. संलग्न दस्तावेज में मेरे द्वारा जो भी पहचान पत्र संलग्न किया जा रहा है वह सही है।
 3. यह कि पूर्व में मुद्रांक विमुक्ति एवं शुल्क विमुक्ति का लाभ नहीं ली हूँ।
 4. यह कि मैं पहली बार लाभ ले रही हूँ।
 5. यह कि उक्त भूमि अंचल कार्यालय देवघर के ज्ञापांक-484/रा0 दिनांक-27.02.2019 के अंदर ही खरीद कर रही हूँ।
- मेरे द्वारा उपर लिखे सारी ब्यान सही एवं सत्य है। इसमें कोई बात मेरे द्वारा नहीं छिपाया गया है। किसी प्रकार का असत्य ब्यान पाये जाने पर कानूनी प्रक्रिया लागु होगा।



REGD. NO. 13567/18
NOTARY REGD. NO. 13567/18
GOVT. OF JHARKHAND

Kalpna Singh
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Alok
14/08/2019
Ashish Kumar Alok
REGD. NO. 13567/18



Vol. No. II S.No. 1387
Date 14/08/2019

शपथ-पत्र

में श्रीमती मीना सिंह, पिता श्री महावीर सिंह, दादा स्व० जगत सिंह, व पति श्री कुमार धर्मेन्द्र नारायण सिंह, साकिन-करहनीबाग, थाना- कुण्डा, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री वो जिला- देवघर पूर्वक ब्यान करती हूँ कि :-

1. यह कि थाना नं० 582, जमाबंदी नं०- 230 सबडीविजन, सबरजिष्ट्री वो जिला - देवघर थाना - देवघर सामील मौजा झौसागढ़ी मुहल्ला-करहनीबाद के अंदर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तांतरणीय परती जमीन टाउन प्लान प्लॉट नं०- 687 का अंश सब प्लॉट नं० 4 का अंश व 5 रकवा 1996.4 वर्गफीट (एक हजार नौ सौ छियानबे दशमल चार वर्गफीट) यानि 4.58 डिसमिल परती जमीन को आप श्रीमती कल्पना सिंह, पिता गजाधर प्रसाद राय, पति मुकेश कुमार सिंह, साकिन+पोस्ट व थाना-चितरा सबडिविजन, सबरजिष्ट्री -मधुपुर, सदर रजिष्ट्री वो जिला- देवघर निवासी के पास बिक्री कर रही हूँ।
2. संलग्न दस्तावेज में मेरे द्वारा जो भी पहचान पत्र संलग्न किया जा रहा है वह सही है।
3. यह कि उक्त भूमि अंचल कार्यालय देवघर के ज्ञापांक-484/रा० दिनांक-27.02.2019 के अंदर ही विक्री कर रही हूँ।
4. मेरे द्वारा उपर लिखे सारी ब्यान सही एवं सत्य है। इसमें कोई बात मेरे द्वारा नहीं छिपाया गया है। किसी प्रकार का असत्य ब्यान पाये जाने पर कानूनी प्रक्रिया लागु होगा।



TESTEL
NOTARY REGD NO. 2584
GOVT. OF JHARKHAND

मीना सिंह
शपथकर्ता का हस्ताक्षर


अधिवक्ता देवघर कोर्ट
14/8/19

14/08/2019
नोटरी पब्लिक, देवघर
Ashush Kumar Alok

PLAN OF LAND UNDER MOOLA-JHOUNSAGARHI
 NO-582, WITHIN DEOGHAR NAGAR MUNICIPAL
 WARD NO-28, J.B. NO-230, PART OF T.P.
 PLOT NO-687, SUBPLOT NO-4 (PART) AREA
 1996.4 S/2. SHOWN IN RED COLOUR BELONGS
 TO SMT. MEENA SINGH W/O SRI DHARMENDRA
 NARAYAN SINGH P. NOW SOLD TO SMT. KALPANA
 SINGH W/O MIKESH KUMAR SINGH OF CHITRA
 P.S. CHITRA, DIST- DEOHAR


20

PART OF T.P. PLOT NO-687



15'0" WIDE PRO-ROAD

15'0" PRO-ROAD



Affected
 13/8/19

ATTESTED
 12.9.2024
 NOTARY REGD NO. 22504
 GOVT. OF JHARKHAND
 DIST. DEOGHAR

Witnessed By
 R. S. Kar